



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122023-250806
CG-DL-E-21122023-250806

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 720]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 2023/अग्रहायण 30, 1945

No. 720]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 2023/AGRAHAYANA 30, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2023

सं. 65/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 904(अ).—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना सं. 49/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, जो सा.का.नि. 734 (अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, अंक, अक्षर और शब्दों "31 मार्च, 2024 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।" के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्दों "31 मार्च, 2025 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी। बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कुछ भी अप्रैल 2024 के पहले दिन या उसके बाद, उपरोक्त सरणी के क्रम संख्या 1, 2 और 3 के खिलाफ निर्दिष्ट माल पर लागू नहीं होगा।" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/249/2023-टीओ(टीआरयू-1)]

अमृता टाइटस, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 49/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, को सा.का.नि. 734(अ), 13 अक्टूबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 65/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 29 दिसंबर, 2022, सा.का.नि. 909(अ), दिनांक 29 दिसंबर, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2023

No. 65/2023-Customs

G.S.R. 904(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 49/2021-Customs, dated the 13th October, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 734(E), dated the 13th October, 2021, namely :-

In the said notification, in paragraph 2, for the figures, letters and word “31st March, 2024”, the figures, letters and words “31st March, 2025. Provided that nothing contained in this notification shall apply to the goods specified against serial numbers 1, 2 and 3 of the Table above on or after the 1st day of April, 2024” shall be substituted.

[F. No. CBIC-190354/249/2023-TO(TRU-I)]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 49/2021-Customs, dated the 13th October, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 734(E), dated the 13th October, 2021, and was last amended *vide* notification No. 65/2022-Customs, dated the 29th December, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 909(E), dated the 29th December, 2022.